विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश
स मा चा र

<u>राज्य सभा उप निर्वाचन, 2017</u>

भाजपा उम्मीदवार के नामांकन विधिमान्य पाये गये
निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन पत्र हुआ रद्द

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2017.

मध्यप्रदेश से राज्य सभा के लिये रिक्त हुये एक स्थान की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन हेतु एक मात्र उम्मीदवार के नामांकन-पत्र विधिमान्य पाये गये. भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सम्पतिया उइके ने नामांकन-पत्र के चार सेट प्रस्तुत किये थे.

राज्य सभा उप निर्वाचन, 2017 के लिये रिटर्निंग ऑफिसर एवं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर सचिव श्री प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने आज दोपहर 2.00 बजे से प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सम्पतिया उइके के नामांकन-पत्र विधिमान्य पाये गये. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. के. पद्मराजन द्वारा दाखिल किया गया नामांकन-पत्र जांच के दौरान विधिमान्य न होने के कारण रद्द किया गया. इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस.बंसल एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश कुशरे उपस्थित थे.

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नाम वापसी के लिये 31 जुलाई, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक का समय निर्धारित है.

म.प्र./वि.स./ज.स./17

(मुकेश मिश्रा)
सूचना अधिकारी